झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आ0आ0सं–04/यो0बजट–54/2015– 41 /आ० वन0प0 राँची, दिनांक :– 17.06.2015

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत प्रमण्डल एवं रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति/इको विकास समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए कुल रू0 138.000 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 4/यो0बजट–54/2015–12/स्वी० व0प0 दिनांक–16.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत प्रमण्डल एवं रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति/इको विकास समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए कुल रू0 138.000 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार कुल 138.000 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि
1	"लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना"	मजदूरी	19P240601102090103	140.000	106.500	106.500
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102090323	35.200	31.500	31.500
	कुल राशि			**175.200**	**138.000**	**138.000**

ऑन–लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

17/6

3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना'' बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01–वानिकी, लघु शीर्ष 102–समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष 09–लघु वन पदार्थों का उन्नयन योजना के अंतर्गत संबंधित इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0–300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त।

17/6

17.6.15

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

41/कुमा०
17.6.2015

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/YB- 54/2015/41A

दिनांक - 17-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102090103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 102 . समाज तथा फार्म वानिकी 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 . वेतन एवं भ 03 . मजदूरी	43500	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	10,650,000.00 रुपये एक करोड छः लाख पचास हजार
2	P 19 240601102090323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 102 . समाज तथा फार्म वानिकी 09 . लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	43501	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	3,150,000.00 रुपये इकतीस लाख पचास हजार

योग: 13,800,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड अड़तीस लाख

17.6.15

(ARUN KUMAR SINGH)

PRINCIPAL SECRETARY

172.16.20.1

Run Date : 17/6/2015 [illegible]